भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2316**

दिनांक 5 मार्च , 2020 / 15 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**मनमाना विमान किराया**

**2316. श्री जसबीर सिंह गिल:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली-चंडीगढ़ मार्ग पर विमान कंपनियां मनमानी दर वसूल रही है;

(ख) क्या इन किरायों को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रक्रिया आरंभ की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा किराए की उपरी सीमा निर्धारित करने की कोई पहल की गई है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) (श्री हरदीप सिंह पुरी )**

(क) से (ग): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन होने से, सरकार द्वारा हवाई किरायों का अनुमोदन किए जाने का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है। वर्तमान में, हवाई किरायों को सरकार द्वारा न तो विनियमित और न ही स्थापित किया जाता है। एयरलाइनें वायुयान नियम, 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत औचित्यपूर्ण टैरिफ नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं। एयरलाइनें अनेक स्तरों पर किराए ऑफर करती हैं जो मांग और बाजार शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं और जैसे जैसे मांग बढ़ती है, निम्नतर किराया स्तरों पर सीटें भरती जाती हैं। ये विमानन उद्योग में वैश्विक परिपाटी है।

जहां तक एयरलाइनों द्वारा वसूल किए जा रहे किराए उनके द्वारा स्थापित और उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किरायों से अधिक नही होते, और वे प्रचलित विनियामक प्रावधानों की अनुपालक बनी रहती हैं। तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से बाहर हवाई किराए वसूल नहीं कर रहीं, औचक आधार पर कतिपय चुनींदा मार्गों पर हवाई किरायों की निगरानी के लिए एक टैरिफ निगरानी इकाई का गठन किया है। विश्लेषण दर्शाता है कि हवाई किराए एयरलाइनों द्वारा उनकी वेबसाइटों पर अपलोड की गई किराया श्रेणी के भीतर बने हुए हैं।

*****